I request the Government, especially, the Minister, to see that proper working conditions are created for the workers, the headload workers in particular. Lastly, I want to stress one point that there are heavy losses, because of lack of storage capacity, and so many other problems are there in the management. The management at the higher level is trying to victimise the workers, especially, the workers connected with the unions, to a great extent. There are unwanted transfers also. I request the Government, especially, the Minister, to look into these aspects and see that the FCI is run properly by giving fair treatment to the workers. That is what I want to say. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P.G. Narayanan has to go to a meeting. There are two speakers before him, that is, Sardar Balwinder Singh Bhundar and Shri S. Viduthalai Virumbi. But before I call you, the Finance Minister would lay the Budget (Manipur) 2001-2002 on the Table of the House.

THE BUDGET (MANIPUR) 2001-2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Manipur for the year 2001-2002 (Annual Financial Statement). [Placed in Library. *See* No. L.T. 4011/01]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P.G. Narayanan. Mr.Narayanan, you have three minutes, in any case.

THE FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL, 2001 - Contd.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Madam, the Amendment sought by the Government, is to provide an increased borrowing capacity to the F.C.I. There are many anomalies in the Food Corporation of India, which would not be removed by bringing this small amendment. The Government has brought this amendment to raise the loan from the nationalised banks and the Reserve Bank of India. The maximum credit could be ten times of the Reserve Fund, but the Reserve Fund position of the Food Corporation of India is very poor. So, this Bill will not meet the present needs of the Corporation. The foodgrains production has doubled because farmers have taken more interest in producing more. The FCI is having many problems

which cannot be solved by the Government of India through this Bill. At present, there is an acute shortage of godowns throughout the country. Out of 60 million tonnes of foodgrains, only 30 million tonnnes of food stocks are kept in the godowns. The balance 30 million tonnes of food stocks are lying in the open platforms which has resulted in damage and spoilage of the foodgrains. Three lakh tonnes of foodgrains are rotting because they are lying in godowns for more than five years. They are unfit for human consumption. This has happened in the State of Tamil Nadu during the previous regime. Nearly one lakh metric tonnes of rice was non-usable and non-consumable by the consumers. So, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr.Puratchi Thalaivi, has stopped the issue of rotten rice to the public through the Public Distribution System and ordered a vigilance inquiry. As and when the inquiry is over, the guilty would be punished. The Government should have a clearcut foodgrains policy. I suggest that the Government should come forward with a plan as to how it is going to match the gap between the total procurement and total disbursal.

So long as this gap is not met, so long as these stocks are not dispersed, the FCI will remain a white elephant and corruption in this Corporation will continue to be there. There is no secret that corruption is rampant in FCI. Because of this, our poor farmers are suffering. The Government must come forward to remove this type of lapses and shortcomings for protecting the interests of the consumers and the producers, *i.e*. the farmers, because the FCI came into existence with a purpose, to protect the consumers as well as the agriculturists. My other suggestion is that FCI should think of procuring paddy and milling by itself so that the misuse of funds can be reduced to a large extent. So, instead of this small Amendment, the Government must come forward with a comprehensive Bill to meet all these requirements. With these words, I oppose the Bill.

श्री रुमान्डला रामचन्द्रय्या (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति महोदया, आज सरकार जो फूड कार्पोरेशन अमेंडमेंट बिल लाई है, यह भारत के किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। लेकिन धन, मूलं, विदं जगत तो धन आने के बाद अगर डिपार्टमेंट के लोग उस धन का दुरुपयोग करें तो किसानों को लाभ होने के बजाय हानि हो जाएगी। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर धन बढ़ाने के लिए आप यह जो बिल लाए हैं उसी प्रकार किसानों से अनाज लेते समय अधिकारीगण जो भ्रष्टाचार करते हैं, किसी को एक तरह से और किसी को दूसरी तरह से प्रोत्साहन देते हैं, उस को बंद किया जाए। साथ ही देश में अनाज के बढ़ते उत्पादन को दृष्टि में रखकर आप गोदामों की संख्या बढ़ाएं। यह भी ध्यान रखें कि गोदाम बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वह केवल

धनवानों के फायदे के लिए हैं। आप गरीब किसानों की भी उस में भागीदारी बढ़ाएं। इस के लिए 10 या 15 किसान मिलकर एक गोदाम बना लें तो ठीक रहेगा। आप ने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और ताल्लुक हैडक्वार्टर में गोदाम बनाने के लिए प्लान दिया है, लेकिन भारत में अब पंचायती राज व्यवस्था आई है, इसलिए अगर हर मण्डल हैडक्वार्टर में एफ.सी.आई. और दूसरे विभागों के गोदाम बनाए जाएं तो उस से किसानों को बहुत लाभ होगा। इस के अलावा जब किसान अनाज लेकर मार्केट में जाता है तब उस का खाद्यान्न दलाल खरीद लेते हैं और बाद में आप खरीदते हैं जिस से न किसान लाभांवित हो रहा है, न खरीदने वाली जनता लाभांवित हो रही है और न फूड कार्पोरेशन लाभांवित हो रहा है। केवल मीडिएटर, दलाल लोग धनवान होते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आप नियमों के अंतर्गत इस धन का सदुपयोग करने के लिए मण्डल हैडक्वार्टर पर किसानों और सरकार की भागीदारी से गोदाम बनाएं तो किसानों का भला हो सकता है। इस के साथ-साथ यह भी बड़े दुख की बात है कि फूड कार्पोरेशन के गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है और कुछ गायब भी हो रहा है तो उस का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। महोदया, आज के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में निवेदन किया है। देश के 8 राज्यों में लोग भूख से मर रहे हैं। हम भारत में कह रहे हैं कि अनाज बहुत हो गया है, बहुत गोदामों में है, तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? मेरा कहना है कि जहां-जहां गरीब लोग हैं और जिन-जिन राज्यों में खाद्यान्न की किल्लत है, वहां आप दाम घटाकर, सब्सिडी बढ़ाकर गरीबों को देंगे तो इससे सरकार का अच्छा नाम होगा, जनता का भला होगा। लेकिन यह न होकर, अनाज का केवल गोदाम में सड़ना कहां तक अच्छी बात है। इसलिए मंत्री जी कृपया इसको भी देखें।

आज राज्य सरकारें गरीब जनता को मदद करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए आगे आना चाह रही हैं लेकिन भारत सरकार के नियम कठिन होने के कारण वे इससे दूर होती जा रही हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए कठिन नियमों को सरल बनाकर जनता की और किसानों की मदद करनी चाहिए और यह जो बीच के दलाल हैं, इनको हटाने के लिए क्या-क्या नियम बनाए जा सकते हैं और किस तरह से गरीब लोगों को मदद मिल सकती है, किसान का भला हो सकता है, इन चीजों को देखते हुए हमें नियम बनाने चाहिए और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वहां के राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर नियम बनाए जाएं तो अच्छा रहेगा।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि आप जो पालिसी बना रहे हैं, उसमें किसान की भागीदारी बनाइए। किसान के बिना आपका कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया या कोई भी और विभाग हो, नहीं चल सकता। जब किसान उत्पादन करता है, तब अनाज आता है और तब आपका विभाग काम करता है। आज से पांच साल पहले हमारे भारत देश में खाद्यान्न नहीं रहने से हम गेहूं, चीनी आदि बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज हम खुद बाहर भेजने की स्थिति में हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस खाद्यान्न को चाहे वह पंजाब में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, जहां भी अधिक उत्पादन हो, उसको बाहर भेजने, एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। भारत देश में किसी भी राज्य में खाद्यान्न की अगर कमी है तो दूसरे राज्यों से वहां खाद्यान्न भेजने के लिए साधारण नियम बनाना ठीक रहेगा, लेकिन अपने नियम ऐसे बन गए हैं कि इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजना भी मुश्किल हो गया है। इससे किसान गरीब हो रहा है, बीच का दलाल धनवान हो रहा है। इस बीच

के दलाल को निकालने के लिए ही सरकार है। लेकिन आज हम सरकार के नियमों के अनुसार अगर हर दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि ये नियम धनवान को और धनवान बना रहे हैं, बीच के दलाल को धनवान बना रहे हैं लेकिन इनके कारण किसान गरीब से गरीब बनता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि आप जो भी पालिसी बनाएं, ऐसी बनाएं जिससे कि किसान का भला हो, राज्य सरकार को यह अधिकार हो कि वह वहां के किसानों को बचाने के लिए फूड कारपोरेशन के काम की जांच-पड़ताल कर सके, राज्य के विधान के अनुसार ये लोग वहां काम करें। दो साल पहले आंध्र प्रदेश में किसानों को बहुत कठिनाई हो रही थी। हमें दो-तीन दिन यहां हल्ला मचाना पड़ा और मंत्री जी ने खुद यहां से आर्डर निकाले लेकिन आंध्र प्रदेश के फूड कारपोरेशन के अधिकारियों ने, एफ.सी.आई. वालों ने वहां के किसानों को बहुत सताया। उस बात को सुनकर हमारे मुख्य मंत्री ने हर मार्किटिंग कमेटी को जाकर देखा, किसानों की कठिनाइयों को सुना और केन्द्र में इन्हीं के मंत्री तब भी थे, इनको लैटर पे लैटर लिखा, तब इन्होंने भी आर्डर पे आर्डर भेजा, लेकिन वहां के अधिकारीगण जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वे भ्रष्टाचार करते रहे और किसानों को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। इन सब विषयों को देखते हुए और धन की व्यवस्था के लिए आप जो आर्डिनेंस लाए और आज बिल बना रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें हम आपके साथ हैं। हम सरकार को इसके लिए पूरा समर्थन देते हैं और इस बिल को भी पूरा समर्थन देते हैं। आपके सभी कार्यक्रम किसानों की भलाई के लिए हों और खाद्यान्न गोदामों में न सड़े, गरीब जनता तक पहुंचे, यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री जी गरीब किसानों को बचाने के लिए कुछ नए-नए विचार लेकर जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे। उपसभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, the Bill which has been brought before us for discussion would enable the Food Corporation of India to increase its borrowing capacity. Before this Amendment, the Food Corporation of India could avail loan from the financial institutions as well as banks to the tune of ten times the paid- up capital and the reserve fund. But, practically, there was no reserve fund with the FCI. Section 27 (b) says, "Issue and sell bonds and debentures carrying interest at such rates as may be fixed by the Central Government at the time the bonds or debentures are issued". Now after this Amendment, clause (b) alone will enable them to borrow 10 times the paid-up capital. By amending Section 27 of the Act, the clutches are being removed from this particular stipulation. So far as overdraft is concerned, in 1999-2000, the FCI borrowed Rs. 15,985 crores from the banks. In 2000-01, the FCI borrowed Rs. 25,167 crores. The sanctioned amount was Rs. 1,480 crores. It is expected that in 2001-02, they would require more than Rs. 30,000 crores. Before this Amendment, the FCI could overdraw to the tune of only Rs. 22,850 crores. This Amendment is essential because the foodgrain stock held by the FCI has been increasing year after year. On 1st January, 1999, the FCI had a stock of 24.38 million tonnes. On 1.1.2000,

it had increased to 31.89 million tonnes. Now it has gone up to 45.77 million tonnes. More or less, it is double than what it was in 1999. The Government has resorted to this Amendment to increase FCI's overdraft limit. While welcoming the Bill, I would like to talk about the functioning of the FCI. How is the FCI functioning? Last year, for construction of godowns, the Revised Estimate was Rs. 45.43 crores, out of which the FCI has not spent Rs. 5.57 crores. In the year 1999-2000, the amount allotted to the Indian Grain Storage Management and Research Institute was Rs. 90 lakhs. They had utilised only Rs. 5 lakhs. The Indian Grain Storage Management and Research Institute has been allocated Rs. 169 lakhs, out of which they have utilised only Rs. 67 lakhs which is only 39.64 per cent of the amount allotted.

What is the reason for this under-utilisation of the money sanctioned by Parliament? Sir, the General Financial Rules stipulate that all the civil works have to be executed only by the CPWD, and in case the CPWD issues a No Objection Certificate, then, the same work can be entrusted to some other agencies. What we want to know, as representatives of the people, is this. When the CPWD is not able to execute a work within the Budget period, why are they accepting that particular thing? When they are not able to do it, they must inform the Government that it should get that particular work done from an outside agency and that they would issue a 'No Objection Certificate' to that effect. And, when there is laxity on the part of the CPWD, the Department concerned should review the position; they must consult the CPWD, hold talks with the Director-General (Works), CPWD, and find out whether they can execute the work within the time-frame or not. If they are not able to do it, then, they must entrust the same job to someone else who can finish it within the Budget period.

I would like to point out another aspect. We find that the working cost is increasing year after year. For instance, the carrying cost has increased from Rs.1,788 per tonne to Rs.2,211 per tonne; that is, there has been an increase of Rs.423 per tonne, and it is the people who have to bear this extra cost. Another aspect is that we have to shell out Rs.869 crores as carry-over charges. And, what is this carry-over charge? In case the FCI is not taking the wheat and rice from the States before the last day of June, then they will have to pay certain charges for storage as well as towards interest on the income that would have, otherwise, been earned. This itself comes to Rs 869 crores, out of the total bufferstock outlay of

3.00 P.M.

Rs.5,262 crores last year. Therefore, the Government has to find out some way to reduce the carry-over charges. Then, another aspect is that the total stock with the FCI has doubled; that is, from 24 million tonnes, it has gone up to 46 million tonnes. Now, what is the total staff strength that we have? Two-and-a-half years back, the staff strength of the FCI was 64,135, but as on date, the staff strength is 61,312, which means that in a period of two-and-a-half years, the total number of staff has been reduced by 2,823. But the amount of stock with the FCI has increased to a great extent. My fear is that additional work is put on the shoulders of the existing workers. Therefore, the Government should adopt some time-scale method and the workload must be scientifically determined. In case it is found later that there is excess workload on certain people, then, the Government must increase the strength of the staff, instead of reducing it. This is one aspect. Then, as regards interest payment, in the last five years, the FCI has paid an amount of Rs.8,265 crores by way of interest to various banks. I would like to know whether there is any possibility of reducing this amount. We can reduce it, provided we reduce the stock of the FCI. Earlier, some ten or twenty years back, it was a problem of scarcity. Now it is a problem of plenty. Of course, we have reached this stage of plenty because of the efforts of certain people. We owe our thanks to them. One is Thiru C. Subramaniam.

Another was Dr. M. S. Swaminathan, a scientist, who devoted his life to see to it that the production and productivity increased in this country. Therefore, we bow our heads.

So far as subsidy is concerned, I feel it should continue because it is a very basic thing. Madam, even the hon. Supreme Court has said that nobody should starve in this country. For that, they must take action. I appreciate one thing. They have reduced the economic price. They have reduced it from Rs.1100 or Rs. 1080 to Rs.700 or Rs.750. By doing that, the Central Government has helped all the State Governments in India in reducing their fiscal deficits to some extent. For this, we must thank them. At the same time, we have some people living below the poverty line and some others living above the poverty line. Below the poverty line off-take of foodgrains is more than the previous year and the last year. You will find it more, if you calculate it for the last year and previous to the last year. But so far as the people living above the poverty line are concerned, the off-take is very much less. What is the reason? I feel the economic price is more than the market price. The people resort to market purchases.

Apart from all that, I have to reply to my hon. Friend who mentioned that rotten rice was purchased. Some of the rice we purchase has moisture and when there is moisture in it, some of it gets coloured. Now, it has been said that the so-called rotten rice has been offered to the Government of Kerala. What has been offered to the Government of Kerala is not rotten; it is an edible one. Therefore, the word 'rotten' that has been used is incorrect and unwarranted. The charge that has been made is false. With these words, I conclude, and I support this Bill.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर (पंजाब) : आनरेबुल मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। यह जो अमेंडमेंट फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में किया जा रहा है यह सिर्फ एक पाइंट पर है कि जो बोरोइंग कैपेसिटी एफसीआई की है उसको बढ़ाना है, टेन टाइम्स बढ़ाना है, उसकी जरूरत है। इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए मैं दो-तीन सजेशन देना चाहता हूं। जब देश में बहुत ज्यादा अनाज की कमी थी तब भी हम पंजाब वाले सरप्लस थे, अब देश में अनाज की कमी खत्म हो गई है फिर भी हम सरप्लस हैं। लेकिन सरप्लस होने का एक कारण तो यह है कि देश में गरीबी ज्यादा है, लोगों की जितनी जरूरत है उतनी उनकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी तरफ यह भी मानना पड़ेगा कि इस गवर्नमेंट की लगातार जो प्रो- फारमर पालिसी रही, तीन-चार साल से रेट अच्छे मिलते रहे, कुदरत ने भी साथ दिया, किसान ने भी मेहनत की जिसके कारण बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ। अनाज ज्यादा पैदा हुआ इसमें कोई शक नहीं, इसलिए सरप्लस भी हम कह सकते हैं। अनाज सरप्लस है या नहीं है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कुछ सुधार करने चाहिए ताकि देश में जो गरीब लोग हैं उनको अनाज मिल सके, अनाज बर्बाद न हो क्योंकि वह भी देश के लोगों का है और देश का है। फारमर भी बर्बाद न हो, उसको भी सही कीमत मिले। इसलिए मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब को दो-तीन राय देना चाहता हूं। पहली तो यह कि जो स्टोर कैपेसिटी है वह हमारी कंट्री में बहुत कम है। मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, इतनी जल्दी एक साल में हो भी नहीं सकता, लेकिन तीन-चार साल पहले से ही यह स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। जितनी जोर से प्रयत्न करना चाहिए, उतना नहीं किया है। इतना ज्यादा लॉस हो रहा है अगर लॉस को ही ले लें तो उससे 50 परसेंट सब्सिडी किसान को दे दें। चाहे इंडिविज्युवल स्टोर करना चाहते है, चाहे वहां की को-आपरेटिव सोसाइटी स्टोर करना चाहती हो, चाहे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोर करना चाहती हो या जहां-जहां मार्किट है, वहां स्टोर करना चाहती हो, वहां -वहां सरप्लस स्टोर को कम से कम 75 परसेंट सब्सिडी देना चाहिए। जैसे एक नम्बर पर सरप्लस स्टेट पंजाब है, दूसरे पर हरियाणा और अब तीसरे नम्बर पर आन्ध्र आ गया है। कुछ छोटे-मोटे और स्टेट भी आ गए हैं। वहां मैनेनिकल टाइप विल्लेज बनने चाहिएं ताकि पांच-छ: साल तक अनाज का एक दाना भी जाया न जाए, खराब न हो। जहां सरप्लस को एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़िया क्वालिटी हो और दहशत के समय कंट्री में गरीब को खाने को देने के लिए बढ़िया हो, वहां मेरा सरकार को पहला सजेशन यह है कि कम से कम 75 परसेंट सब्सिडी देनी चाहिए ताकि देश का रुपया जाया न जाए क्योंकि उधर भी काफी रुपया जाया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड मार्किट अब ऊपर हो चुकी है। इसमें जहां हम मुश्किलन में हैं वहां कई दफा कुदरत भी साथ दे जाती है और इस दफा बड़े-बड़े मुल्क

आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका सरप्लस हैं, वहां पर कुछ खराब मौसम के कारण कमी हो गई है। यह हमारे लिए अच्छा मौका है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम एक बार मार्किट में एस्टेब्लिश हो जाएं तो कांटीन्युएसली एस्टेब्लिश रह सकते हैं। इसलिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर करना जरूरी है। जैसे एक प्राइवेट कम्पनी ने ईराक में अनाज भेजा था और ईराक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सरकार का कुसूर है या नहीं, प्वाइंट यह नहीं है लेकिन बदनामी तो हमारे देश की हुई। इससे हमारे फार्मर की भी बदनामी हुई है। तीसरी बात जिसके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूं, वर्ल्ड मार्किट एक हो गई है। शायद हम सोचते हैं कि फूडग्रेन से दूसरी तरफ हम किसान को डायवर्ट कर लेंगे, सरकार कोशिश भी कर रही है। भले ही मैं पॉलिटिक्स में 40 साल से हूं लेकिन अभी भी एक किसान हूं। जब तक कमर्शियल बेनिफिट्स इकवल नहीं होंगे तब तक किसान किसी भी डायवर्शन के फील्ड में नहीं जा सकता। हम पंजाब वाले बहुत ट्राई कर रहे हैं, खुद चाहते हैं कि हमें कोई और रास्ता मिले, लेकिन कहां जाएं। वर्ल्ड में न यील्ड की गारंटी है, न रेट की गारंटी है और वेजीटेबल में भी पूअर हैं उसमें न यील्ड की गारंटी है, न प्राइज की गारंटी है। हार्टिक्लचर का भी यही हाल है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि डायवर्सन में जाने के लिए बड़े रिसर्च और पैसे चाहिएं। उनको भी प्रोवाइड करने चाहिएं जो स्टेट सरप्लस हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी क्वालिटी और इसकी संभाल इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि इससे देश और किसान दोनों का भला हो। किसान और अच्छे से अच्छे तरीके से उसकी संभाल करे। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो सबसे दुखभरी है, हम पंजाब वालों को कह दिया जाता है कि इनका अनाज खराब है, कनक खराब है और चावल भी अच्छा नहीं है, इसिलए हम इसे नहीं लेते। जब जरूरत थी तब तो कह दिया जाता था भेजो। हमारे स्टेट में बैरियर लगा दिया जाता है और हमारा किसान न हरियाणा, न पंजाब, न कश्मीर और न दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर ले जा सकता है। जब मुम्बई में 12 रुपए किलो अनाज था, पंजाब में सात रुपए किलो था, लेकिन अब मुम्बई में 6 रुपए है, पंजाब में भी 6 रुपए है, कहते हैं कि सारे देश में खुला है। जहां चाहो अनाज ले जा सकते हो। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि यदि हम अनाज को संभालकर न रखेंगे तो फार्मर को ठीक रेट नहीं मिलेगा। एक दफा फार्मर डी-मॉर्लाइज हो गया तो फिर कंट्री दहशत में चली जाएगी। हमें फिर फारेन की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर बिल अमेंडमेंट के लिए आया है, अच्छा है, इससे फायदा होगा, फार्मर के हक में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर काबिल हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं अगर हम दो-तीन-तीन स्टैप नहीं लेंगे, जो न केवल फार्मर्स के लिए हैं बल्कि देश के लिए भी हैं। गरीब मुश्किल में है और किसान भी मुश्किल में है। खाने वाला और पैदा करने वाला दोनों ही मुश्किल में हैं इसलिए मेरा सजेशन है - जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहीं दो - तीन सजेशन्स के लिए भी कहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसे जल्दी और गौर से लागू कीजिए ताकि इससे देश का भला हो।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam Deputy-Chairman, I am grateful for you for giving me an opportunity to speak on this very 'small Bill.' Some of my colleagues have mentioned it as a small Bill, but this Bill involves billions of rupees of the exchequer and lakhs and crores of individuals, in the form of farmers; and the entire population of a hundred crores, as consumers. This is not a very small Bill.

Madam, the Food Corporation of India was incorporated in 1964 for three main purposes: (1) Effective price support operations for safeguarding the interests of the farmers; (2) Distribution of foodgrains throughout the country through the public distribution system; (3) Maintaining a satisfactory level of operation of buffer stock of foodgrains to ensure national food security.

Madam, this particular Corporation depends solely on the Government subsidies. Till now, based on the present system, they could borrow Rs.22,945 crores. The hon. Minister has now proposed, through this amendment, to give a blank cheque. There is no talk of Rs.22,000 crores. It could be even Rs.1 lakh crores in future! I have no objection, if we can meet the three main purposes which I have mentioned. Does it help the farmers? Does it create national food security? Does it really help the PDS?

What is our experience during the last fifty years? Has the Food Corporation of India really done the right job? Are these stocks, which we are talking about, really helping or creating more problems for the country, for the country's finances and for the poor consumers?

One of my friends, Mrs. Raikar, mentioned that the quality of the foodgrains available in the PDS is very poor. All of us know that what is supplied is of very poor quality. Who suffers? It is the poorest man who buys it at the highest cost. Has the FCI really been doing justice? Is it helping the PDS in the country?

Madam, I can tell you, if the Mody's shops were not available in the country, the PDS could not have fed; it just can't feed the country. It is not only today, they would have not been able to feed even 20 or 25 years before. It is entirely because of the Mody's shops. Even on the China border, when the Chinese were ready to strike, two Mody shops were there, when the entire Government had run away from there. They were still there for the people in the villages.

We have surplus stocks. We should be happy about it. But it appears that we are more concerned with the surplus stock. What do we do with it? Why so? The stocks are perishable ones. The hon. Minister would agree with me, that there should be a first-come-and-first-out policy. And this is the usual system also. There is no reason why the last come would go first. Why do we have lakhs and lakhs of tonnes of stocks lying for five years in this country? Would any of us like to eat wheat or rice which is five years old, which is kept in an unscientific condition? Who is

responsible for this? Has the hon. Minister or the Ministry identified those officers who are responsible for this because these foodgrains are lying and rotting? If these stocks had been taken out in time, there would not have been any reason for having this 60 million tonnes stock which is five years old or three years old or two years old. I would like to know from the hon. Minister what is happening to this. Today, Madam, we have 60 million tonnes of foodgrains stock in the country, even though wheat production has gone down by 7.1 million tonnes. The wheat production has gone down but the total stock goes up. The total consumption has also gone up. Still the total stock has gone up. There is something wrong basically in the distribution system. There is something wrong because wrong material is supplied at wrong time. Madam, the storage capacity in the country is for 25 million tonnes as on 1st October, 2000. The programme for increasing the storage capacity is only for 7.25 million tonnes. If your storage capacity is 25 million tonnes and if your stock is of 60 million tonnes and if your plan is only for 7.25 million tonnes --that too also out of this, only 4.55 million tonnes by the FCI and 2.70 million tonnes by the CWC I would like to know from the hon. Minister what his plan is for scientific storage of foodgrains. Here also the FCI says, 'subject to the availability of funds'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is this CWC?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The Central Warehousing Corporation. ...*(Interruptions)*... It is not the CWC of our Party. ...*(Interruptions)*... Madam, coming back to the FCI ...*(Interruptions)*... If you see the figures of October ...*(Interruptions)*... Madam, I am trying to be brief by only referring to the storage possibilities. I am not going into the question of procurement at the moment because you can procure and it is not a big thing. But what is happening in the procurement I will let the House know. About storage capacity, Madam, I would like to submit that in October 1999, the total stock was 32245 thousand tonnes, that is, 32.2 million tonnes. In October 2000, it was 44.49 million tonnes. Now it is 60 million tonnes. With this increase in stocks, day-by-day, month-by-month and year-by-year, what is your plan in this regard? Is it required for our food security? Probably for food security this stock is three times more. I think, for this purpose only 20 million tonnes are required. But we have 60 million tonnes. You cannot export. Why? Because even a country like Iraq says that the quality of your wheat is not good. This is what a country like Iraq says. I am not talking of USA or any European country. Why? It is

not good for two reasons. Basically it is not good and then it is not handled properly. As a result, even a country like Iraq says that they want 100 per cent clean material. The material which is being exported from here after being handled by the FCI probably, has four per cent kankar-pathar ...*(Interruptions)*... Something which is not wheat. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Adulteration. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Adulteration . ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Solid material.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Though one per cent is allowed -- correct me, if I am wrong-Iraq says they want 100 per cent clean material without solids..*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Organic and inorganic ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I would like to know from the hon. Minister whether he is planning to involve the private parties. If CWC of the Government does not have enough funds, if the FCI does not have enough funds, whether the Minister is going to involve private parties so that we can quickly have an additional capacity of, at least, ten million tonnes in the country. Madam, I just cannot understand how seven lakhs, four lakhs, three lakhs capacity will suffice. This is chicken-feed. I mean, even to plan like that is shameful for our country. Or, you have to have an effective plan to export our foodgrains. This, I think, my friends from Orissa had mentioned.

Madam, it was only yesterday that the Supreme Court had to tell the Government to reach foodgrains to the needy. We have become so unconcerned about our responsibilities that the Supreme Court has to direct us on everything. It is directing us to use a particular material. It is directing us to give this material to the needy people in Orissa or people living in other parts of the country. We have so much stocks but Rajasthan has suffered. Rajasthan has suffered continuously for six months because of drought. On the one hand, we have surplus stocks of foodgrains, and, on the other, the poorest of the poor in Rajasthan did not die because of the Government of Rajasthan, but they died because of lack of effort on the part of the Central Government. Just because of lack of efforts on the part of the Central Government, the entire development of Rajasthan, which had suffered a severe drought, had to be stopped. What was the problem in giving foodgrains to it? Somebody mentioned about the carrying cost. I

think, Mr. Virumbi has mentioned about the carrying cost. We procured at Rs. 6 or Rs. 7 per kg. five years ago, and, according to the figure given just now, Rs. 2,000 per tonne, is the carrying cost. Today, the same five-year-old wheat costs Rs. 30 or Rs. 26 per kg., and now you want to sell the same for Rs. 7 or Rs. 8 or Rs. 9 or at whatever price the FCI wants to sell. Now, the foodgrains are already spoiled. It is not fit for human consumption. Forget about human consumption. It is not good even for the livestock. I do not know whether it is good for fertilizer. This is what is happening. If you go on stocking foodgrains and ultimately wasting it, what is the logic in it? ..*(time-bell)*... I think, I am the last speaker. I shall be grateful if you could allow me a little more time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, There is one more speaker. It is Mr. Gandhi Azad.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: All right. Madam, you just tell me how much time I can take. I will adjust my speech accordingly.

Now, I would like to say quickly a few words about the Ordinance. This Ordinance has come out not because it was really needed on that day. It was issued because one of the 'superman' Chief Ministers wanted it. So, this particular Ordinance was brought in and an amount of Rs. 1,000 crores was allotted only to that particular State. The BJP thought that procurement by the States would be a better alternative... I am sorry.

उपसभापति : आप दो चार सब्जेक्ट्स पर बोल रहे हैं क्या?

श्री संतोष बागड़ोदिया : यह प्वाइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैडम। This particular Ordinance was brought in only to please a particular Chief Minister.

एक माननीय सदस्य : क्या नाम है उसका?

श्री संतोष बागड़ोदिया : नाम क्या करना है जान कर।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : स्टेट?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The rice procurement is the maximum from that particular State. And we can guess it. He is a partner of the NDA and has not joined the Cabinet. So, they cannot afford to loose him.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Andhra Pradesh): Everything is disclosed.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I cannot give more clues. While we are talking about the storage, there is a strong issue going on in the country, and the hon. Minister knows about it. You have got a Committee

of four Ministers considering whether the foodgrains should be packed in jute bags or in plastic bags. Madam, I am raising this point because in a jute bag, you can stock up to 20, whereas in a plastic bag, you can stock only five or six. So, today, if your capacity is 25 million tonnes, it will be reduced to 12 million tonnes. Please consider from this angle also. Another point I would like to make is this. The Food Corporation of India is dependent only on subsidies. The FCI will not lose anything because it is cost-plus. You will charge the extra cost from the consumers. You may say, if plastic is used, we will charge less from the consumers. But I am doubtful about it because the FCI can very conveniently increase the carrying cost and other costs, and consumers will not be benefited in any way. I will tell you my experience, Madam. If you supply some material packed in plastic bags, consumers will .prefer to buy that because they know that its cost would be lesser, it being packed in a plastic bag. It happened in the case of sugar two years ago. It will happen in the case of foodgrains also. Then, your subsidy will remain the same. The most important point is, plastic is definitely poisonous. Have you conducted any study on that? I have written a letter to the hon. Minister and also to other Ministries to conduct a study on this. So, the people go only by cost. It will spoil the health of our people. We should not do so just because of the fact that it can be reused. I am not sure, but we think that it can be reused. From this angle also, it should be considered. I understand from newspaper reports that a committee has been constituted, and you are one of the Members of that Committee. You, being a consumer, have also told me personally that it costs Rs.400 crores more to the FCI. I would like to know whether Rs.400 crores is more important than the health of our people. Most of our farmers are not educated. They leave plastic bags in the fields and they remain there for years. The entire land is being spoiled because of this. You have to think from this angle also. And, you know, when some cows were operated upon, about 45 kilos of plastic material was extracted from the stomach of one cow. The cows eat the things alongwith the plastic bags. You can understand how big a problem it will create in the long run and, maybe even in the short run.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I think, you should conclude. You have taken more time than what was allotted to you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: That is why, I am just throwing away my papers, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, you should drop them together.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I know, you are looking at me very angrily.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not angrily but anxiously.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am the sufferer, Madam, and I will tell you privately about this, not in the House.

Now, I come to the next point. The FCI has appointed some agents. When there is a surplus, the FCI fixes the rate of wheat, for example, at Rs.6/- per kg. But since the farmers are in dire need of money, they sell their foodgrains at a much lower price, say, at Rs.3/- per kg. The agents of the FCI purchase foodgrains from them and show that they have bought it at Rs.6/- per kg. I want to know why you have appointed agents for this. When there is a shortage, the same agents say "sorry, we are not getting the material." The poor farmer is forced to supply foodgrains to the FCI when there is a shortage. When there is a surplus, it is the agents who make the money and not the farmers. And the Government says "look, we have procured so much quantity." So, you have to see this problem from this angle also. Recently, you have talked about decentralising the procurement system, in a meeting of various Food Ministers. You said that States should take the responsibility. As a result, you will save about Rs.20,000 crores. I do not know how; if you save Rs.20,000 crores simply because of the fact that the States are handling it, you are only trying to shirk off your responsibility. This item should remain in the hands of the Central Government. My hon. friend from Punjab has just now mentioned that we had a surplus before and we are having a surplus even now. For some reason, if they say "we have procured it; we will not give it to other States", what will happen. Have you thought over it? So, let it remain like this. You can decentralise the powers of the officers. Let there be a competition between the officers of Punjab and the officers of Rajasthan, between the officers of Tamil Nadu and the officers of Andhra Pradesh, to which our great Chief Minister, Shri Naidu belongs. So, let us have a competition between all these officers, and then you can compare which particular branch is giving you a lesser cost in terms of carrying, handling, etc. This will be real decentralisation, and not that you decentralise and give the responsibility to the States. Your subsidy has increased from Rs. 5,000 crores in 1994-95 to Rs. 12,000 crores in 1999-2000. We are all concerned about it. Can the Minister tell us on how much quantity this subsidy is per consumer, and how many people it involves in the country? If it is just because the population has increased and the subsidy has also increased,

then that is a separate issue. Or is it because the number of persons are the same, but the subsidy has increased? This has to be known because, then only we will know whether it is really a problem or it is not a problem. ...*(Time-bell)*... Madam, there was one Committee in the Ministry. It had suggested certain things and out of that, I would mention only one thing. The alternate food security system proposed by the High Powered Committee reverses all the flaws by suggesting the simple device of relying on the people who have personal stake in the system instead of indifferent employees, more interested in the job security than the food security. You may please clarify this point also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Two hours were allocated for the discussion on this Bill, but you have brought papers, as if we are going to discuss this for six hours..*(Interruptions)*... Just one second. The Members should know how much time is allocated for each party and prepare their speeches accordingly; otherwise, they are speaking on behalf of other speakers also, and the result would be that these speakers would suffer. So, you make speech according to the time allocated to the party. I will be very happy. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA : Madam, I appreciate your statement. I wish you would had informed me when I started my speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You were also in the Business Advisory Committee.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No, Madam. So much time is allotted to me, because some other speaker from my party has spoken before me and I did not know how much time she has taken. If you had told me, then I would not have taken one minute more than the allocated time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: She had taken only seven minutes.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: That means I had 21 minutes. Maybe, I have taken around that time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is over now.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: So, 21 minutes are over. All right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Long back.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I will just finish. That is why

I have thrown away all the papers. Now, only the last point. Madam, because of this rice problem, especially, in Southern India, what has happened is, that a number of rice farmers, including those of Andhra Pradesh and Karnataka, have shifted to other crops, like sugarcane. Now, they are forced to do that, because rice price at the local level has gone down by 50 per cent -- from six rupees it has come down to three-and-a-half rupees. What do you do? They have shifted to sugarcane, but what has happened in sugarcane is that the sugar mills themselves are in difficulty. So, sugarcane is produced, because there the problems of farmer are less, their cost of production is less. Our Government, Madam, though it is dynamic, the Food Minister is dynamic, despite this, what is happening is that, once the sugarcane is supplied, the small sugar mills are not able to pay to the farmers. If they pay to the farmer by selling their stocks, the Essential Commodities Act will put them in jail. And, if they do not pay, the State Governments will say, 'we will take all your assets and pay to the farmers.' The result is that the industry will be closed down. Is it the solution? What will happen, if the industry is closed? The golden goose is closed. The farmers will suffer, the country will suffer and the workers will suffer. What are we planning so that these small units are not really closed down? The last point, Madam, is that the wheat and rice production -- in the morning also, we talked about productivity and production -- the total production has increased. But what about the productivity, per hectare? Has it increased? I know this is a matter relating to growing of food. Therefore, the hon. Minister can take it up with the Agriculture Minister. If the productivity of land is improved, the cost of production will automatically come down. As a result, the farmers and the country, as a whole, will benefit. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Last week there was a discussion on the productivity of land and somebody had pointed out that because of the division of land, its productivity had gone down. A fifteen-acres land does not produce as much, if it is fragmented. But if that land is put together and tilled, the overhead costs will come down and productivity will increase. I clearly remember that it was said during a discussion, probably, last Thursday.

Now, Shri Gandhi Azad.

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, महोदया। महोदया, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह बिल खाद्य निगम की निधि को और बढ़ाने तथा आरक्षित करने के लिए है।

महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान खाद्य निगम के कुप्रबंधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस के कारण खाद्य निगम द्वारा निर्धारित फसलों का न्यूनतम मूल्य देश के छोटे और मध्यम किसानों को नहीं मिल पाता है और बिचौलियों को उस का फायदा मिलता है। महोदया, खाद्य निगम के कुप्रबंधन के कारण ही अनाज के प्रचुर भंडार रहते हुए भी देश के कई क्षेत्रों में लोग भुखमरी की कगार पर हैं। महोदया, हाल ही में मंत्री जी ने इसी सदन में एक सवाल के उत्तर में जवाब दिया था कि देश में अनाज का प्रचुर भंडार है, लेकिन प्रदेश की सरकारें यह अनाज उठा नहीं रही हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रचुर भंडार रहने के बावजूद देश में भूख के कारण आत्म-हत्याएं क्यों हो रही हैं? गरीबी के कारण आत्म-हत्याएं क्यों हो रही हैं? आप इस आंकड़ों के गणित और औसत के गणित से सरकार कब तक चलाएंगे। महोदया, मैं इस औसत के गणित के संबंध में एक दृष्टांत देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह एक गुरु और चेले की कहानी है जिस में गुरु को नाला पार कराना था और उस के लिए चेला नाले की गहराई का औसत निकालता है। उस ने पाया कि यह नाला कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 5 फुट और कहीं 7 फुट गहरा था और गुरु जी की लंबाई साढ़े 5 फुट थी। चेले ने नाले की गहराई का जब औसत निकाला तो वह 5 फुट आई। उस ने कहा कि गुरु जी आप निकल जाइए कोई झंझट नहीं है, यह नाला औसतन 5 फुट गहरा है, आप पार हो जाएंगे। गुरु जी चेले के कहने पर, उस के गणित पर चले गए। नाले में पानी 5 फुट से ऊपर था और 6-7 फुट पानी आने पर वह बहने लगे, डूबने लगे तो गुरु जी को डूबता देख चेला हिसाब लगाने लगा। उस ने हिसाब लगाया और उस के बाद बोला, 'हिसाब निकला ज्यों-का-त्यों, गुरु हमारा डूबा क्यों'। तो मंत्री महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आप औसत के गणित से देश चलाने का काम न करें कि प्रचुर मात्रा में भंडार है, लेकिन मंत्री जी प्रचुर मात्रा में लोग भूख से मर भी रहे हैं। इसलिए औसत और आंकड़े के गणित से काम नहीं चलेगा। मेरा आप से अनुरोध है कि आप औसत को व्यावहारिकता में बदलिए, सत्यता को परखने का काम करिए और इसे कार्यरूप दीजिए। महोदया, इस प्रत्याशा में कि आगे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा, किसानों से अनाज की सीधी खरीद होगी, इस का लाभ बिचौलियों को नहीं दिया जाएगा, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ-ही-साथ निवेदन करता हूं कि यदि हमारे निवेदन के पालन में मंत्री जी की कोई असमर्थता हो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूर करें ताकि भविष्य में देश का कोई भी नागरिक भूख से न मरे। धन्यवाद।

श्री शांता कुमार : उपसभापति महोदया, फूड कारपोरेशन के संबंध में हुई इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रारम्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. इस देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम कर रही है। दो-चार बातें इस दृष्टि से प्रमुख रूप से कही गईं। फूड सिक्योरिटी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसान की मदद करने के लिए प्रोक्योरमेंट करना बहुत जरूरी है और देश के लाखों गांवों के करोड़ों गरीब लोगों तक अन्न पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी बहुत जरूरी बातों को करने के लिए फूड कारपोरेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्रारम्भ से रहा है, आज भी है। उसमें कुछ कमियां हैं लेकिन उन सारी कमियों के बावजूद फूड कारपोरेशन एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। आज विषय तो बहुत छोटा सा है, उस संबंध में जो भी सुझाव आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस संशोधन का समर्थन सदन ने किया है और इसके लिए मैं सदन का आभारी हूं।

कुछ बातें कही गई हैं, जिनके संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कहा गया कि

स्टॉक बहुत अधिक है और उसका कारण यह है कि ऑफ टेक कम हो गया, उसका कारण यह है कि पिछले साल हमने नीति में परिवर्तन किया। इसका मुख्य कारण यह नहीं है। स्टॉक अधिक होने का कारण यह है कि सरकार ने मिनिमम स्पोर्ट प्राइस ठीक निश्चित की ताकि लाभप्रद मूल्य किसान को मिले और यह ठीक ऐग्ज़ेक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के कारण अधिक से अधिक किसान अपनी उपज हमें देना चाहते हैं और जितना वे मंडी में लाते हैं, उसको सरकार लेती है और इसके कारण स्टॉक अधिक बढ़ गए हैं। आज कुल मिलाकर हमारे पास 616 लाख टन अनाज है और उस अनाज को संभालने की, रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh) : Madam, the Minister is misleading the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: First, let him complete his reply. At the end, you can seek a clarification.

डा. अलादी पी. राजकुमार : ये बोले कि जितना भी मंडी में आया, एफ0सी0आई0 ने खरीदा। हम लोगों के पास आंध्र प्रदेश में 152 lakh tonnes of foodgrains were produced. We had to fight both inside the House and outside the House that the FCI should procure these foodgrains, but they could procure only 60 lakh tonnes. I would request the Minister not to mislead the House.

श्री शांता कुमार : मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सरकार पूरे का पूरा उत्पादन नहीं खरीद सकती। हमसे पहले जो सरकार थी, वह भी लगभग 11-12 प्रतिशत ही खरीदती थी। 100 प्रतिशत खरीदना किसी भी सरकार के लिए कभी भी संभव नहीं। ...(व्यवधान)... सरकार सप्लीमेंट करती है, सरकार प्रयत्न करती है और वैसे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि यदि एक रीज़नेबल भाव से भाव नीचे जाने लगे तो सरकार इंटरवेंशन करे, उसको खरीदे, लेकिन आज यह धारणा जा रही है और इस बारे में भी इस सदन को और सरकार को बैठकर निर्णय करना पड़ेगा। यह धारणा देश में चली गई, हमारी सबकी मिली-जुली नीतियों के कारण। यह संभव नहीं है कि जो भी उत्पादन हो, जहां भी हो, उसे सरकार खरीदे, पूरे का पूरा खरीदे। केवल पिछले साल प्रोक्योरमेंट पर 32,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया और आज 616 लाख टन अनाज हमारे भंडार में है। अब देश में सब जगह यह मांग हो रही है, आलू की फसल बहुत ज्यादा होती है और घरों में ढेर लग जाता है, उत्पादक की इच्छा होती है कि सारे का सारा आलू सरकार खरीदे। जब हिमाचल प्रदेश में सेब का बहुत अधिक उत्पादन होता है तो सब चाहते हैं कि सारा सेब सरकार खरीदे। क्या यह संभव है कि कोई सरकार पूरे के पूरे उत्पादन को खरीद ले? यदि यह करना है तो सरकार का पूरा बजट भी अगर लगा दिया जाए तो भी सारा उत्पादन नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए एक व्यावहारिक नीति की आवश्यकता है और हमारी सरकार व्यावहारिक नीति अपनाने की कोशिश करती रही है।

महोदया, यहां एक बात और आई है और वह सही भी है कि एक ओर सरकार के भंडार भरे पड़े हैं और दूसरी ओर लोग भूखे हैं। सचमुच यह दुर्भाग्य का विषय है, चिंता का विषय है। इस विषय पर आजकल सुप्रीम-कोर्ट भी विचार कर रही है। मैं आभारी हूं उन लोगों का जो

सुप्रीम-कोर्ट में गए क्योंकि यह ऐसा विषय है कि जिस पर सभी को चिंतन और मनन करना चाहिए। कहीं पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और फिर जब गोदाम भरे पड़े हों, तब कोई क्यों भूखा रहे? यह चिंता बिल्कुल सही और सरकार इस चिंता में आपके साथ है लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं और इसमें ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी भी है। हमारे जिम्मे प्रोक्योर करने का काम है और हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जिम्मे दूसरा काम है इस अन्न को स्टोर करना, हम इसे स्टोर कर रहे हैं। हमारे जिम्मे तीसरा काम यह है कि हम इस अनाज को राज्यों को उपलब्ध कराएं, हम यह अन्न राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रदेश की राजधानी तक ही जैसे राजस्थान में केवल जयपुर तक ही यह अन्न देते हैं। महोदया, देश के अंदर हमारे 1500-1600 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स तक FCI अपने खर्च पर इस अनाज को पहुंचाती है।

महोदया, मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार के जिम्मे जो जिम्मेदारी है कि हम इस अनाज को प्रोक्योर करें, स्टोर करें, राज्यों को दें, ये तीन काम हम कर रहे हैं। इससे आगे जाकर जो 4,60,000 राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों तक इस अन्न को पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके अधीन बहुत सा अनाज दिया जाता है, सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाता है और यदि वे सारी योजनाएं पूरे देश में लागू होतीं, यदि देश की 4,60,000 राशन की दुकानों तक यह अन्न पहुंच गया होता तो आज स्टारवेशन की नौबत न आती, भुखमरी के समाचार न आते।

महोदया, हम कुल मिलाकर 303 लाख टन अनाज ऐलोकेट करते हैं राज्य सरकारों को और आप यह जानकर हैरान होंगी कि केवल 130 लाख टन का टेक-ऑफ होता है। महोदया, मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि 36 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे बसते हैं और एक गरीब परिवार को कम से कम महीने में 60 किलो अनाज की जरूरत है। हम उसको पहले 20 किलो देते थे, इसे अब बढ़ाकर हमने 25 किलो कर दिया है। महोदया, एक गरीब परिवार की जरूरत 60 किलो की है, हम 20 किलो देते हैं और इतना सस्ता देते हैं कि इस भाव पर हिंदुस्तान की किसी दुकान पर अनाज नहीं मिलता है - 4 रुपए 35 पैसे प्रति किलो गेहूं और 5 रुपए 65 पैसे प्रति किलो चावल हम देते हैं। तो फिर यह 20 किलो पूरा क्यों नहीं उठता है? इसका टेक-ऑफ तो 100 प्रतिशत होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि एक फूड मिनिस्टर होने की हैसियत से मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, आप ही समझाने की कोशिश कीजिए कि एक परिवार को 60 किलो अनाज की जरूरत है, हम सस्ते भाव पर 20 किलो दे रहे हैं और इस 20 किलो का टेक-ऑफ कितना है - केवल 55 परसेंट। तो इसमें कसूर किसका है?

श्री संतोष बागड़ोदिया : ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी खराब है।

श्री शांता कुमार : इसका कारण क्वालिटी नहीं है। मैं क्वालिटी की बात पर आता हूं। मेरा निवेदन यह है कि 303 लाख टन हम देना चाहते हैं लेकिन केवल 130 लाख टन अनाज ही उठाया जाता है। इसके अलावा सूखाग्रस्त प्रदेशों को हमने 22 लाख टन दिया है।

महोदया, अभी एक माननीय सदस्य ने हंसते हुए यह बात कही कि यह जो अमेंडमेंट हम इस बिल में लेकर आए हैं, यह और किसी कारण से नहीं है बल्कि इस कारण से है क्योंकि

किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे, इसलिए हम यह अमेंडमेंट ला रहे हैं। महोदया, मुख्यमंत्री तो आते रहते हैं और हमसे मिलते रहते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुख्यमंत्री की ओर आप इशारा कर रहे थे, आदरणीय नायडू जी यहां आए थे अपनी समस्याएं लेकर और हमने उनका समाधान किया। उनके तो दिल्ली आने पर हमने उनका समाधान किया लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे टेलीफोन किया और टेलीफोन पर हमने उनको अनाज भेजा। तो सभी मुख्य मंत्रियों की बात हम सुनते हैं। तो उसमें कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जितना पूरा एफिसिएंट होना चाहिए उसमें कमी है। चार लाख साठ हजार दुकानों तक यदि यह अन्न उपलब्ध कराया जाए तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें बहुत हमारे सामने आएंगी।

भाव के बारे में भी कहा गया है। सो मैंने यह कहा कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में बिल्कुल सस्ते भाव हैं। गरीबी की रेखा के नीचे के 36 करोड़ लोगों के लिए व्हीट चार रुपए पंद्रह पैसे किलो, चावल पांच रुपए पैंसठ पैसे किलो है। यह बाजार से भाव सस्ता है। इसके अलावा जो पांच करोड़ लोग अन्त्योदय अन्न योजना में हैं उनको 25 किलो अनाज किस भाव में है? वह है दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल। अब यह क्यों नहीं पहुंचाया जाता? एक करोड़ परिवारों को, पांच करोड़ लोगों को हम दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि 16 प्रदेशों में योजना शुरू हो गई। लेकिन मुझे दुख है कि बाकी प्रदेशों में यह योजना नहीं शुरू हो रही है। कौन करेगा इस योजना को शुरू? यदि उन सारे प्रदेशों में योजना शुरू हो गई होती और गांवों के गरीब आदमी को दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल राशन की दुकान पर दिया गया होता तो शायद भुखमरी के बहुत से किस्से हमको सुनने नहीं पड़ते। तो इसमें ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदिया : किन स्टेट्स में चालू नहीं हुई है जिससे हम वहां चलवाएं?

श्री शांता कुमार : देखिए, चालू हुई है, इसकी घोषणा हुई है। मैं प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को बार-बार पत्र लिख रहा हूं, मेरे राज्य मंत्री सारे प्रदेशों में गए हैं। मैंने उनको कहा कि जाओ, तथा प्रदेशों में गेहूं की इस योजना को शुरू कराओ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : उनका नाम बताएं।

उपसभापति : मंत्री जी, वह यह पूछ रहे हैं कि आप उनकी लिस्ट दे दें कि किन राज्यों में शुरू हुई है और किन राज्यों में अभी शुरू नहीं हुई है।

श्री शांता कुमार : 16 प्रदेशों में शुरू हुई है। मैं सूचना आपको दे दूंगा। बाकी प्रदेशों में अभी योजना शुरू नहीं हुई है। सो मेरा यह निवेदन है कि हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन ...(**व्यवधान**)... बाकी प्रदेशों की सूची मैं आपको दे दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : सूचना आ गई है, एक मिनट रुकिए।

श्री शांता कुमार : जिन प्रदेशों में यह योजना शुरू हो गई है मैं उनका नाम पढ़ देता हूं।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, यू.पी., अंडमान निकोबार, दमन दीव और कर्नाटक।

इन प्रदेशों में योजना शुरू हो गई, बाकी प्रदेशों में योजना शुरू नहीं हुई है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे भाव बिल्कुल ठीक हैं और आम गरीब आदमी की जो परचेजिंग पॉवर है उसके अंतर्गत उनको लिया जा सकता है।

एक और बात यहां कही गई है कि बहुत सा अन्न खराब होता है। महोदया, 616 लाख टन हमने रखा है और केपेसिटी 512 लाख टन की है। लगभग 100 लाख टन बाहर रखना पड़ा है। कुछ खराब होता है मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन यह जो बात कही जाती है कि अन्न के भंडार पड़े हैं, अन्न सड़ रहा है यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। अन्न सड़ नहीं रहा है, अन्न को संभाल कर रखने की कोशिश की जाती है। कुछ खराब होता है निश्चित रूप से वह तो निश्चित प्रक्रिया है और जो खराब होता है उसको अलग कर दिया जाता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं डाला जाता। कुछ माननीय सदस्यों ने क्वालिटी की बात कही। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में क्वालिटी बिल्कुल ठीक जाए। सरकार ने एक निर्णय किया है। सभी राज्य सरकारों को हमने कह दिया कि जब आप हमारे गोदाम से अन्न लें तो घटिया क्वालिटी का बिल्कुल न लें। अगर लेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। कई प्रदेशों ने लेते समय शिकायत की। हमने उस पर जांच की है। तो हमने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार हमारे गोदाम से जब अन्न उठाती है तो वह फेयर एवरेज क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो आप मत लीजिए। हमको बताइये, यह बार-बार हमने कहा हुआ है। इसलिए अब अगर किसी राशन की दुकान पर अन्न की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी लेने वाली राज्य सरकार की है। इतना ही नहीं, कई बार जब प्रोक्योरमेंट होती है, हम पर दबाव पड़ता है कि स्पेसिफिक रिलेक्स करिये और कुछ कारण वाजिब होते हैं इसलिए हमको स्पेसिफिक रिलेक्स करना पड़ता है। स्पेसिफिक रिलेक्सेशन के बाद जो अन्न हमारे पास पड़ा हुआ था, वह फेयर एवरेज क्वालिटी था, खाने के योग्य था। लेकिन जब इस किस्म की शिकायतें आयीं तो सरकार ने निर्णय किया कि हम उस अनाज को पीडीएस में इश्यु नहीं करेंगे। उसको हमने नीलाम करके निकाला, करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन हमने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया। वह फेयर एवरेज क्वालिटी का था, इश्यु किया जा सकता था, खाने योग्य था, चूंकि थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन रिलेक्स की थी तो हमने यह निर्णय किया कि क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करना है। करोड़ों का नुकसान उठाकर लगभग 30 लाख टन चावल, अनाज हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इश्यु नहीं किया, ओपन टेंडर के द्वारा हमने निकाला ताकि क्वालिटी से कोई समझौता न हो। हमने बार-बार राज्य सरकारों को कहा है कि आप जब लेते हैं तो ठीक अनाज लीजिए। कहीं कोई गलत अनाज देता है तो हमको शिकायत करिए। इसलिए क्वालिटी कहीं पर भी घटिया न हो इसका हम पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक लोसिस की बात कही गई है, कुछ होती हैं, उनको भी कम करने की कोशिश फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन एक बहुत बड़ा संगठन है। उसमें लाखों कर्मचारी हैं और उसको करोड़ो-अरबों रुपये का काम करना पड़ता है। उसमें कुछ कमियां आपने बताई हैं, कुछ कमियां हैं लेकिन उन कमियों के बावजूद यह बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। पिछले दो साल के अंदर फूड कारपोरेशन के अंदर कई ढंग से बचत की गई है। उसमें जो लोसिस की बात आपने कही है तो स्टोरेज और ट्रांजिक्ट लोसेस में भी 100 करोड़ रुपये की बचत फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है। अब लोसिस पहले की

तरह नहीं हो रहे हैं, उसमें नियम बदले हैं, उपनियम बदले हैं, कठोर अनुशासन लागू किया गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले एक साल के अंदर 151 करोड़ रुपये की बचत फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के अंदर हुई है। मैं उसका ब्यौरा भी दे देना चाहता हूं, 100 करोड़ रुपये की बचत स्टोरेज और ट्रांजिक्ट लोसिस के अंदर फूड कारपोरेशन ने की है। ओवर टाइम में 15 करोड़ रुपये, तीन करोड़ और मेडीकल में 15 करोड़ रुपये की बचत की है। डेमेज के अंदर भी हमने नियम, उपनियम बदल कर के 16 करोड़ रुपये की बचत की है, ऑफिस एक्सपेंसिस में दो करोड़ रुपये की बचत की है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka) : Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Then I will allow you.

श्री शांता कुमार : कुल मिलाकर 151 करोड़ रुपये की बचत सरकार ने की है। एक और बात भ्रष्टाचार की कही गई कि कुछ बातें इस प्रकार की होती हैं। मैं मानता हूं जहां मैं इस बात को कहता हूं कि फूड कारपोरेशन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, जहां कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगभग सात बड़े-बड़े पुराने केसेज हमने सीबीआई को दे दिए हैं। जांच हो रही है। बाकी भी जहां कहीं कोई गलत बात मिलती है उस पर पूरी कार्यवाही की जाती है। सन् 2000 के अंदर मेजर पेनल्टी में कुल मिलाकर के डिसमिसल, रिमूवल, कम्पलसरी रिटायरमेंट 13 की गईं, रिडेक्शन इन रैंक 16 हुये, रिडेक्शन इन टाइम्स स्केल आफ पे 230, गलत काम करने के कारण 259 लोगों को सजा दी गई। माइनर पेनल्टी में पिछले साल 1024 लोगों को सजा दी गई। इसी तरह इस साल भी मेजर पेनल्टी में 223 लोगों को सजा दी गई, माइनर पेनल्टी में 532 लोगों को सजा दी गई। लोगों को नौकरी से भी निकाला गया है, क्रिमिनल केसेज अलग चल रहे हैं और सात केसेज हमने सीबीआई को दे दिये हैं। जहां-जहां कोई गलत बात होती है उसको रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। एक बात यहां पर कही गई कि सिस्टम यूनिवर्सल होना चाहिए। पिछली पंचवर्षीय योजना जब बन रही थी तभी यह बात कही गई थी कि अब यह सिस्टम टारगेटिड होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए होना चाहिए। और वह पंचवर्षीय योजना पूरे देश ने राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर स्वीकार की थी। पूरे भारत का निर्णय था और उस निर्णय को आधार बनाकर 1997 में टार्गेटिड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरु की गई थी। उसके मुताबिक केवल गरीबों पर अधिक ध्यान दिया जाए, इस प्रकार का प्रयत्न किया गया। यहां पर एक बात और कही गई कि मूवमेंट में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए तो किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि फूडग्रेन की मूवमेंट पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार की ओर से कोई रुकावट नहीं है। हमने प्रदेशों को भी कहा है कि इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं चाहिए। एक और चिंता की बात कही गई है, यह बिल्कुल ठीक है कि स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास काफी नहीं है, ठीक प्रकार से नहीं है। मैंने कहा कि हमारे पास 512 लाख टन अनाज रखने की जगह है और 616 लाख टन अनाज रखा है। इसके कारण काफी परेशानी आती है। सरकार ने इसके लिए बहुत पहले निर्णय किया और एक नेशनल स्टोरेज पॉलिसी बनाई और अब उस पर काम शुरु हो गया है। जो आपने सुझाव दिए हैं, ये सारी बातें इस पॉलिसी के अंदर हैं। इस पॉलिसी की दो मुख्य बातें हैं, एक तो यह है स्टोरेज बल्क हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है ताकि इसमें पैसा लगाने वालों को सब

प्रकार के इन्सेंटिव प्राप्त हों। दूसरे इसमें पार्टिसिपेशन को पूरी तरह लागू किया जाए। इसमें लगभग 6088 कन्वेंशनल गोडाउन के लिए जगह तय कर दी गई, एडवर्डटाइजमेंट कर दी गई है और प्राइवेट पार्टीज से आफर आ गई हैं। उन आफर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आफर अंतिम करने पर हम प्राइवेट पार्टी से एग्रीमेंट करेंगे कि आप बनाइए, हम सात साल के लिए लेंगे और वे इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्राइवेट सैक्टर में देश भर के अंदर ये नई कैपेसिटी बनेगी। बल्क हैंडलिंग के लिए 21 लाख टन की कैपेसिटी साइलो लेटेस्ट टैक्नॉलोजी के आधार पर करने का हमने विचार बनाया है। उस पर ग्लोबल टेंडर होने हैं तो 21 लाख टन और पौने सात लाख टन नई कैपेसिटी तैयार होगी। इसके अलावा अक्तूबर में हमें जगह प्रक्योर करनी है। क्योंकि आज हमारे पास कहीं भी अनाज रखने के लिए जगह नहीं है इसलिए कंज्यूमिंग स्टेट्स के मुख्यमंत्री बहुत परेशान हैं। उनके साथ बातचीत करने के बाद हमने एक नया तरीका निकाला। मुख्य मंत्रियों ने हमको कहा कि आप गारंटी दीजिए हम अपने प्रदेश में प्राइवेट सैक्टर में गोदाम बना लें। हमने गारंटी दे दी। इस समय 61 लाख टन की गारंटी भारत सरकार दे चुकी है और उस गारंटी के आधार पर प्रदेशों में गोदाम बनने शुरू हो गए हैं। बड़े व्यापक स्तर पर इंतजाम हो रहा है। 61 लाख टन अनाज का प्रबंध अगली प्रोक्योरमेंट के पहले-पहले हो जाएगा। गारंटी हमने दे दी है। 30 लाख टन का नेशनल स्टोरेज पालिसी के अंदर प्रबंध हो जाएगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी लेटेस्ट टैक्नोलोजी के आधार पर, सरकार के ध्यान में हैं। इससे वेस्टेज नहीं हो सकेगा और हमारा यह विश्वास है कि इस दिशा में हम पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे। फूड फार वर्क के अंदर हमने अनाज प्रदेशों को दिया है, अभी राजस्थान की यहां चर्चा हुई। उनको तो हमने टेलीफोन पर ही अनाज दे दिया। उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस समय हम राजस्थान को 7 लाख, 39 हजार टन अनाज एलोट कर चुके हैं लेकिन उन्होंने उठाया है केवल 4 लाख 77 हजार टन। अब तो मुझे आपसे शिकायत है कि उठाते क्यों नहीं है। आपको मुझसे शिकायत करने का अधिकार नहीं है। मैं शिकायत कर रहा हूं कि हम जो गरीबों को देना चाहते हैं वह नहीं उठता। फूड फार वर्क के अंदर ...**(व्यवधान)**... फूड फार वर्क के अंदर हम कुल मिलाकर 22 लाख 19 हजार....

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: The quality is very poor. That is why they are not taking the rice. ...*(Interruptions)*... Madam, give me just one minute. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you at the end. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR : I am from Karnataka. The rice that you supplied was bad. The Food Minister of Karnataka brought the rice and kept on our table. It was so dirty that we had to fight with them. I said, हमारे घर का कुत्ता भी यह चावल नहीं खाता, I said, "Don't take the Karnataka people for granted and don't give this type of rice". After so much of fighting, अभी थोड़ा-थोड़ा अच्छा चावल आ रहा है। ऐसा बुरा चावल देंगे तो कौन लेगा? गरीबों के लिए क्या बुरा चावल ही बचा है?

श्री शांता कुमार : क्वालिटी के बारे में पहले ही कह चुका हूं। अगर कर्नाटक की किसी राशन की दुकान पर चावल खराब है तो कसूर कर्नाटक की सरकार का है, हमारा नहीं है ...(व्यवधान)... हमने बार-बार कहा है कि जब आप हमारे गोदाम से राशन उठाते हैं तो बढ़िया उठाइए, घटिया मत उठाइए। अगर कोई घटिया राशन देता है तो उसकी शिकायत कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 4,60,000 दुकानों में से कहीं पर घटिया किस्म का राशन मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है बल्कि हमसे लेने वाली सरकार की है। फूड फोर वर्क के बारे में मैं कह रहा था कि इसके अंतर्गत अभी तक हम 22,19,000 टन अनाज बिल्कुल मुफ्त दे चुके हैं। यह पहला मौका है कि जब केंद्र सरकार ने इतनी अधिक मात्रा में सूखाग्रस्त प्रदेशों को अनाज दिया है। सूखाग्रस्त प्रदेशों को 22,19,000 टन गेहूं बिल्कुल मुफ्त दे दिया गया। इसमें से अभी तक केवल 13,00,000 टन गेहूं उठा है, 9,00,000 टन अभी तक नहीं उठा है। हमारा निवेदन है कि इसे जल्दी उठाएं, फूड फोर वर्क शुरू करें ताकि कहीं किसी के भूखे रहने की नौबत न आए। जहां लगता है भूख है वहां फूड फोर वर्क शुरू करके इस अनाज का लाभ उठाएं ...(व्यवधान)...

श्री अनन्त सेठी (उड़ीसा) : उड़ीसा की फिगर दे दीजिए कि वहां कितना एलोकेट हुआ और कितना उठाया।

श्री शांता कुमार : एक बात यह भी कही गई कि हम जो संशोधन ला रहे हैं उससे फूड कॉर्पोरेशन के पास ब्लैंक चैक आ जाएगा। उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। जो भी बैंक हमें पैसा देता है वह हमारे स्टॉक के अगेंस्ट देता है, स्टॉक से अधिक नहीं देता। जितना स्टॉक होगा उतना पैसा मिलेगा। जब रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखेगा तो ब्लैंक चैक नहीं होगा। स्टॉक के अगेंस्ट ही हमें इस प्रकार की सुविधा मिलेगी।

एक्सपोर्ट के बारे में कहा गया, इराक की भी चर्चा की गई। एक्सपोर्ट करने का निर्णय पिछले साल हुआ और इस समय तक हम 31,00,000 टन गेहूं विदेशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। किसी अन्य देश से हमारा गेहूं रिजेक्ट नहीं हुआ है, केवल इराक से हुआ है। इसके रिजेक्ट होने का भी एक कारण है और वह यह है कि ग्रेन बैंक ऑफ इराक ने भारत के एक्सपोर्टर्स को सीधा आदेश दिया था। इसमें भारत सरकार और एफ.सी.आई. बीच में कहीं नहीं थे। जब उन्होंने आदेश दिया तो एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्टर्स ने इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के मुताबिक अपने गेहूं को ठीक ढंग से एक्सपोर्ट किया। इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के मुताबिक दो प्रतिशत तक फोरेन मैटर हो सकता है। यह दो प्रतिशत क्वालिफाई है। इस दो प्रतिशत फोरेन मैटर में डेढ़ प्रतिशत ऑर्गेनिक और आधा प्रतिशत इनऑर्गेनिक हो सकता है। एक्सपोर्टर्स जिस ढंग से बाकी जगहों पर सप्लाई करते हैं उसी ढंग से यहां भी कर दिया। लेकिन जब अन्न इराक पहुंचा तो इराक ने कहा कि हम दो प्रतिशत की बात तो मानते हैं लेकिन उसमें आधा प्रतिशत इनऑर्गेनिक होना चाहिए, यह नहीं मानते। हमें तो जीरो प्रतिशत इनऑर्गेनिक चाहिए। इस आधार पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शन हुआ, दूसरा हुआ तो हमें लगा कि वैसे तो यह दोनों के बीच का मामला है लेकिन यह भारत की छवि का सवाल है, हमारे एक्सपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा इसलिए हमने अपने मंत्रालय से एक डेलीगेशन इराक भेजा उन्होंने वहां सारी बात रखी। उनकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट से लगा कि इराक ने हमारा ही नहीं बल्कि और भी कई देशों का गेहूं इसी आधार पर रिजेक्ट किया है। हमने उन्हें आदेश दे दिया है कि जब तक यहां इराक की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अन्न की गुणवत्ता न हो तब तक उन्हें एक्सपोर्ट न किया जाए।

इराक से हमने प्रार्थना की कि आपका जो आदेश है उसके लिए आप समय बढा दीजिए। उन्होंने समय बढ़ा दिया है। हमने एक्सपोर्टर्स से कहा है कि आप उनके मुताबिक सफाई करने का प्रबंध कीजिए। इसका प्रबंध भी बंदरगाह पर हो गया है और साफ करके नमूने भी इराक को भेज दिए गए हैं। इराक से कहा है कि आपके अधिकारी यहां आएं और इस व्यवस्था को देखें। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुताबिक इंतजाम किया जाए। अन्य किसी देश में हमारा गेहूं रिजेक्ट नहीं हुआ है। केवल इराक में इस कारण हुआ। इराक ने और भी देशों का गेहूं रिजेक्ट किया है। इसलिए भारत के एक्सपोर्टर्स की गुणवत्ता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी।

यहां पर डीसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में बात कही गई। महोदया, जब तीन-चार प्रदेशों में हमको प्रोक्योरमेंट करना होता था तो एक सिंगल एजेंसी प्रोक्योरमेंट कर लेती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब पूरे देश में, बहुत से अन्य प्रदेशों में अन्न पैदा होना शुरू हुआ है और सभी प्रदेशों के गरीब किसान यह मांग कर रहे हैं कि आप हमारा भी प्रोक्योरमेंट करायें, हमारा भी लीजिए। इस बात में वजन था और भारत सरकार ने यह सोचा कि यह काम एक सिंगल एजेंसी पूरे देश में नहीं कर सकती। इसलिए हमने सुझाव दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ...(व्यवधान)... मुझे अपनी बात कहने दें। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish and then I will permit you.

श्री शांता कुमार : तो भारत सरकार का सुझाव यह था कि प्रोक्योरमरेंट को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। यह हमारा जो सुझाव है, यह कोई नया सुझाव नहीं है। पहले भी यह सुझाव हमने दिया था। आज इस देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइल्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बंगाल कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है और उत्तर प्रदेश कर रहा है। इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का एक्सपेरीमेंट इतना बढ़िया और सफल रहा है कि बंगाल जैसे प्रदेश को हमसे कोई शिकायत नहीं है। बंगाल जैसा प्रदेश डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, ...*(Interruptions)*... It does not mean that you walk into the House and start speaking without the permission of the Chair ...*(Interruptions)*... I am not allowing at all ...*(Interruptions)*... I am sorry. We have to finish this discussion and then we have the Foreign Minister's statement. So, please don't disturb. Let him finish replying to the questions that have already been raised ...*(Interruptions)*... You were not there throughout the discussion.

श्री शांता कुमार : मैं यह कह रहा था कि इन तीन प्रदेशों में आज भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हो रहा है। इन तीन प्रदेशों में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में केंद्रीय सरकार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इन तीन प्रदेशों में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के कारण 140 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। तो हमारा सुझाव था कि सारे प्रदेशों में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करें और एक पैसे का बोझा भी हम प्रदेशों पर नहीं डाल रहे हैं। हमारा प्रस्ताव यह है कि आप अपने प्रदेश में प्रोक्योरमेंट करें, आपके पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए आपको

जितना जरूरी है वह आप अपने पास रखें और बाकी हम आपसे ले लेंगे। इश्यू प्राइस और कास्ट, इसका जो अंतर है उसे सब्सिडी के रूप में हम बंगाल को दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jibon Roy, the same thing applies to you also. I am not allowing you ...*(Interruptions)*... Please sit down. When you were not there throughout the discussion, it looks very unruly that you just walk into the House and the moment West Bengal is mentioned, you get up ...*(Interruptions)*... And, he did not say anything against West Bengal ...*(Interruptions)*... I don't have that much loud voice as you do. God has provided you with a very good, loud, voice, which I don't have.

श्री शांता कुमार : आज यह पूरी प्रोक्योरमैंट की जो प्रक्रिया है उसमें गरीब प्रदेशों को, गरीब किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। भारत सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को व्यापक किया जाए। पूरे देश में अगर प्रोक्योरमैंट करना है तो इसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा। हम राज्य सरकारों पर काम का बोझ नहीं डाल रहे हैं, पैसों का बोझ बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तीन प्रदेशों में यह सफल हो गया है। लेकिन जब तक सहमति नहीं बनती, हम जबर्दस्ती थोपेंगे नहीं और जब तक प्रदेश नहीं चाहते तब तक केंद्र सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार बिहार के लोगों ने इसके लिए कहा था। हमने इसको बिहार में करने की कोशिश की लेकिन प्रदेश की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। जब तक प्रदेश आगे नहीं आता तब तक यह सफल नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार को इसमें अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए। बिहार में चार साल पहले प्रोक्योरमेंट के लिए कहा गया था और वहां 25 हजार टन पैडी को प्रोक्योर किया। राज्य सरकार को इसका चावल बनवाना था लेकिन वह चावल नहीं बनवा पाई और हमें उसकी नीलामी करनी पड़ी। इससे हमें दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले साल दबाव डाला गया लेकिन राज्य सरकार से हमें पूरा सहयोग नहीं मिला। प्रोक्योरमेंट में जो आ रहा है सरकार उसका चावल बनवाकर नहीं दे रही है। अब राज्य सरकारें सब कुछ चाहती हैं लेकिन अपना दायित्व नहीं निभायेंगे तो यह काम पूरी तरह से नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों को बताएं, विश्वास में लें लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इस देश में यदि नहीं होगा तो गरीब प्रदेशों के गरीब लोगों को लाभ नहीं हो सकेगा। मैंने मुख्य रूप से सारी बातों का उत्तर दे दिया है। इसके इलावा और भी जो सुझाव आए हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी सुझावों पर फूड कारपोरेशन में काम कर के हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह लिमिट बढ़ाने का जो बिल है, इसे पास करें ताकि फूड कारपोरेशन अगले सीज़न में प्रोक्योरमेंट के लिए पूरी-पूरी तैयारी कर सके। धन्यवाद।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Madam, I have one clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If everybody puts a question, then we will have a fresh discussion. I think the Bill did not require either so much of discussion or so elaborative reply. But the Minister has given the reply. I

am sure there are many, many questions which everybody has in his mind because it is a question of food. We had the discussion. In fact, the Business Advisory Committee had allotted half-an-hour. But I fought it out and said two hours should be given because I knew it was a very sensitive issue. Now, we have discussed it for more than two hours. Please bear with me. We also have a statement by the Foreign Minister. If any other clarifications are there, you can write to the Minister or you can go and sit with him and quietly talk to him. Let me now pass the Bill. I will put the motion moved by the Minister to vote. The question is:-

"That the Bill further to amend the Food Corporation Act, 1964, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 & 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शांता कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now have the statement by the Minister of External Affairs.

STATEMENT BY MINISTER

External Affairs Minister's recent Visit to Nepal

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JASWANT SINGH): Madam, I wish to inform the hon. Members that I made a goodwill visit to Nepal from August 17 to 19.

The purpose of my visit was to personally convey to His Majesty King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev the deepest condolences of the President, the Prime Minister, the Government, and the people of India at the grievous tragedy that had struck Nepal in June. I also conveyed to His Majesty the good wishes of the President and the Prime Minister.